बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

एस०ओ०सं०–02/रेगु०–02–800–26/2020– 212/cc /पटना, दिनांक– 30 सितम्बर, 2026

मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि०, इकाई–सुगौली द्वारा पेराई सत्र 2026–27 एवं आगे वर्षों के लिए पूर्व में आरक्षित 143 ग्रामों को यथावत रखने एवं पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मेसर्स हनुमान सुगर एण्ड इन्डस्ट्रीज के मोतिहारी मुक्त क्षेत्र के रूप में अवस्थित 178 ग्रामों में से 05 ग्रामों को अपरम्परागत रूप से आरक्षण के प्रस्ताव पर सुनवाई के पश्चात् ईखायुक्त, बिहार द्वारा दिनांक–30.09.2026 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की प्रति **अनुलग्नक–1** पर है।

उपरोक्त के आलोक में बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम की धारा–31(1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है :–

मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि०, इकाई–सुगौली, पूर्वी चम्पारण द्वारा प्रस्तावित आरक्षण प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत एवं संबंधित पक्षों को सुनने के बाद 148 ग्रामों (संलग्न सूची–क) को पेराई सत्र 2026–27 से 2028–29 तक (तीन वर्षों) के लिए अपरम्परागत रूप से इस शर्त के साथ आरक्षित किया जाता है कि वैसे सभी अपरम्परागत ग्राम एवं मुक्त क्षेत्र ग्राम जहाँ गन्ने का रकवा 50 एकड़ से कम है तो यदि अगले सर्वे सत्र तक संबंधित ग्राम में कम से कम 50 एकड़ गन्ने के रकवा का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाता है तो वैसे सभी ग्राम को मुक्त क्षेत्र घोषित किया जायेगा।

उक्त के अनुसार पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30/9/2026

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–800–20/2020– 212/cc /पटना, दिनांक– 30 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि:–प्रभारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

30/9/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–800–20/2020– 212/cc /पटना, दिनांक– 30 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक एच०पी०सी०एल० बायोफ्यूल्स लिमिटेड, इकाई–सुगौली/राज्य की सभी चीनी मिलों/सचिव, सुगर मिल्स एसोसिएशन/समाहर्त्ता, पू० चम्पारण/ईख पदाधिकारी, मोतिहारी/ईख पदाधिकारी (सभी)/सहायक ईखायुक्त, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/9/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–800–20/2020– 212/cc /पटना, दिनांक– 30 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि–सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त (मु०), गन्ना उद्योग विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

30/9/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–800–20/2020– 212/cc /पटना, दिनांक– 30 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि–आई० टी० प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

30/9/2026

ईखायुक्त, बिहार।

Adhisuchana

आदेश–पत्रक

ईखायुक्त, बिहार, गन्ना उद्योग विभाग के समक्ष सुनवाई से संबंधित।

आदेश का संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3
30.09.2026	मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि०, इकाई–सुगौली द्वारा पेराई सत्र 2026–27 एवं आगे वर्षों के लिए पूर्व में आरक्षित 143 ग्रामों को यथावत रखने एवं पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मेसर्स हनुमान सुगर एण्ड इन्डस्ट्रीज के मोतिहारी मुक्त क्षेत्र के रूप में अवस्थित 178 ग्रामों में से 05 ग्रामों को अपरम्परागत रूप से आरक्षण के प्रस्ताव पर सुनवाई की गयी। **उपस्थिति** :– मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि0, इकाई–सुगौली के प्रतिनिधि श्री रमेश शुक्ला, मेसर्स मझौलिया सुगर इन्डस्ट्रीज, मझौलिया के प्रतिनिधि श्री उदयवीर सिंह, श्री वेदव्रत कुमार, संयुक्त ईखायुक्त, श्री रेमन्त झा, संयुक्त निदेशक एवं श्री श्रीराम सिंह, ईख पदाधिकारी, मोतिहारी सुनवाई में उपस्थित हैं। मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि०, इकाई–सुगौली के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि इस इकाई की पेराई क्षमता 35000 क्विण्टल प्रति दिन है। विगत वर्ष 2025–26 में इकाई के पेराई क्षमता के अनूरूप कम मात्रा में गन्ना उपलब्ध होने के कारण समय से पहले ही पेराई कार्य दिनांक–11.03.2026 को बंद करना पड़ा। जबकि विभाग द्वारा पेराई सत्र 2025–26 हेतु प्रेषित किये गये एन.सी.आर. ने इस इकाई को पेराई हेतु 44.60 लाख क्विण्टल गन्ने की मात्रा निर्धारित किया गया था, परन्तु गन्ने की उपलब्धता कम होने के कारण इकाई द्वारा निर्धारित गन्ने की मात्रा संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। इकाई का गन्ना सर्वेक्षण कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा जारी गन्ना सर्वेक्षण नीति–2026 के अनुरूप परम्परागत 225 एवं अपरम्परागत 143 ग्रामों में पूर्ण हो चुका है। इनके द्वारा यह भी कहा गया कि विभागीय आदेश दिनांक–23.11.2016 द्वारा पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मेसर्स हनुमान सुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज के मोतिपुर मुक्त क्षेत्र के रूप में अवस्थित 178 ग्रामों में से 10 ग्राम पेराई सत्र 2016–17 एवं आगे के वर्षों के लिए मुक्त क्षेत्र के रूप में सुगौली इकाई के साथ संबद्ध किया गया, जिसमें से सभी 10 ग्रामों में से 5 ग्राम पूर्वी चम्पारण जिला के बंजरिया प्रखण्ड के ग्राम–अजगरी (112), सिंधिया हिवन (113), पकड़ीया (114), सिसवा (115) एवं छौड़ादानों नरकटिया प्रखण्ड के तिनकोनी (156) ग्रामों को अपरम्परागत रूप से आवंटित करने का प्रस्ताव है।	

30/9/2026

30.09.2026	इनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि सुगौली चीनी मिल को पूरी क्षमता के साथ 130–140 दिनों तक निर्बाध परिचालन हेतु जो पूर्व से ही इकाई सुगौली को आरक्षित था, को पुनः सुगौली इकाई के पक्ष में पेराई सत्र 2026–27 एवं आगे के वर्षों के लिए आवंटित करने का अनुरोध करते हैं। ताकि प्रस्तावित ग्रामों के कृषकों को सुगौली चीनी मिल के निकटता के कारण सुविधा प्राप्त हो सके। विभागीय पत्रांक–1646/ई०का० दिनांक–11.09.2026 के प्रसंग में सुगौली चीनी मिल को पेराई सत्र 2026–27 से 2028–29 तक के लिए अपरम्परागत रूप से क्षेत्र आरक्षण का प्रस्ताव पर प्रस्तावित गाँव में गन्ने के विकास से संबंधित प्रतिवेदन दिनांक–12.09.2026 को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। सुगौली चीनी मिल के प्रस्ताव पर किसी चीनी मिल द्वारा आपत्ति नहीं व्यक्त की गयी। ईख पदाधिकारी, मोतिहारी द्वारा विभागीय पत्रांक–1686/ई०का० दिनांक–11.09.2026 के प्रसंग में सुगौली चीनी मिल को पेराई सत्र 2026–27 एवं आगे के वर्षों के लिए अपराम्परागत ग्रामों के आरक्षण हेतु मंतव्य उपलब्ध कराया गया। ईख पदाधिकारी, मोतिहारी द्वारा सुगौली चीनी मिल के 30 ग्राम, जो मझौलिया चीनी मिल द्वारा अपने पक्ष में आरक्षित करने हेतु प्रस्तावित है, में से 06 (छः) ग्राम यथा रामगढ़वा प्रखण्ड के ग्राम–जैतापुर (राजस्व थाना सं०–52), सुखी सेमरा राजस्व थाना सं०–54), कोहवरवा राजस्व थाना सं०–55), धगढ़वा राजस्व थाना सं०–53), रक्सौल प्रखण्ड के भेलाही ग्राम राजस्व थाना सं०–37) एवं हरसिद्धि प्रखण्ड के गोविन्दपुर ग्राम राजस्व थाना सं०–109) को इन ग्रामों में सुगौली चीनी मिल के द्वारा गन्ना विकास में कम रूचि लिये जाने एवं मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज, मझौलिया को उनके आरक्षित ग्रामों से सन्निकटता के कारण पेराई सत्र 2026–27 से 2028–29 तक अपरम्परागत रूप से मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज, मझौलिया के पक्ष में आरक्षित करने की अनुशंसा की गयी है, साथ ही मेसर्स एच.पी. सी.एल. बायोफ्यूल्स लि०, इकाई–सुगौली द्वारा शेष प्रस्ताव सुगौली के पक्ष में यथावत रखने की अनुशंसा की गयी है। उक्त अनुशंसा के आलोक में मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि०, इकाई–सुगौली के प्रतिनिधि द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुए मझौलिया चीनी मिल को ग्राम आवंटित होने पर क्षेत्र में अनधिकृत रूप से गन्ना क्रय (पोचिंग) की संभावना बढ़ जायेगी। इसी क्रम में सुगौली चीनी मिल के प्रतिनिधि श्री संजीव कुमार सिंह एवं मझौलिया चीनी मिल के प्रतिनिधि श्री अखिलेश सिंह द्वारा ऊँची आवाज में बहस कर अशोभनीय व्यवहार किया गया। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी एवं इस आशय की सूचना संबंधित चीनी मिल के प्रबंधन को देने का निदेश दिया गया।	

30/9/2026

30.09.2026	अत्एव, सभी पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिशीलन एवं क्षेत्र आवंटन के उपयुक्त तथ्य के दृष्टिगत पूर्व से सुगौली चीनी मिल के साथ संबद्ध ग्रामों को यथावत रखने हेतु बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा–31(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है :– **आदेश :– मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि०, इकाई–सुगौली, पूर्वी चम्पारण द्वारा प्रस्तावित आरक्षण प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत एवं संबंधित पक्षों को सुनने के बाद 148 ग्रामों (संलग्न सूची–क) को पेराई सत्र 2026–27 से 2028–29 तक (तीन वर्षों) के लिए अपरम्परागत रूप से इस शर्त के साथ आरक्षित किया जाता है कि वैसे सभी अपरम्परागत ग्राम एवं मुक्त क्षेत्र ग्राम जहाँ गन्ने का रकवा 50 एकड़ से कम है तो यदि अगले सर्वे सत्र तक संबंधित ग्राम में कम से कम 50 एकड़ गन्ने के रकवा का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाता है तो वैसे सभी ग्राम को मुक्त क्षेत्र घोषित किया जायेगा।** उक्त के अनुसार पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित किया जाता है। **लेखापित एवं शुद्धित।** **ईखायुक्त, बिहार।**	

अनुसूची–"क"

मेसर्स एच॰पी॰सी॰एल॰ वायोफ्यूल्स लि०, इकाई–सुगौली को पेराई सत्र 2026–27 से 2028–29 तक अपरम्परागत रूप से आरक्षित 148 ग्रामों की सूची।

जिला का नाम	प्रखंड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना नं०
पूर्वी चम्पारण	बंजरिया	1	चैलाहा	102
	कोटवा	2	नवादा	180
	हरसिद्धि	3	सेनवुरिया	22
		4	सेवराहा	108
		5	गोविन्दपुर	109
		6	सरैया	139
		7	सरैया खास	148
		8	माणिकपुर	149
		9	अवरईया	154
		10	सरिसवा	155
		11	हरपुर राय	158
		12	रानी छपरा	161
		13	अहिरगावा	162
		14	मिसिर टोला	163
		15	महता टोला	164
		16	ओलहा	165
		17	भादा	166
		18	झारवा	167
		19	दामोवृत	177
	रक्सौल	20	भरतमाही	1
		21	बैरिया वृत	2
		22	एकडेरवा	3
		23	सिंहपुर	4
		24	हरैया	5
		25	पनटोला	6

ईखायुक्त
बिहार, पटना।

		26	रक्सौल	7
		27	धनगढ़वा	8
		28	कौडिहार	9
		29	धनगढ़वा (टोला पूर्व)	10
		30	जकियारी	11
		31	चिकनी	12
		32	चन्दुली	13
		33	सिसवा	14
		34	कौवा धनगढ़	15
		35	लक्ष्मीपुर	16
		36	लक्ष्मनवा	17
		37	जटियाही	18
		38	खिरिचिया	19
		39	सिहोरवा	20
		40	काननापार सोहतियापुर	21
		41	हरदिया	23
		42	गमहरिया	24
		43	मसनाडीह	25
		44	सौनाहा	26
		45	हरनाही	27
		46	भेलाही	37
		47	लक्ष्मीपुर	42
		48	गमहरिया आनन्द सागर	44
		49	सिरिसिया निजामत	45
		50	सिरिसिया वृत	46
		51	बनजरिया सिरिसिया	47

20/1/2026

खाद्यायुक्त
बिहार, पटना।

		52	परसौना तपसी	48
		53	बहुअरी	49
		54	सिसवनिया	51
		55	श्री रामपुर	84
		56	नोनिया	85
		57	पिपरा	147
	रामगढ़वा	58	जैतापुर	52
		59	धनगढ़वा	53
		60	सुखीसेमरा	54
		61	कोहवरवा	55
		62	अहिरौलिया	57
		63	सिसवनिया	63
		64	बंधुबारवा	64
	छौड़ादानो, नरकटिया	65	बैकुण्ठवा	129
		66	नरकटिया	130
		67	सिसवनिया	131
		68	रामपुर	132
		69	सिहोरवा	133
		70	विशुनपुरवा	134
		71	जीतपुर	136
		72	भटनहिया	137
		73	पोखरिया	138
		74	बथुअहिया	139
		75	पुरैनिया	141
		76	लौदिहा	143
		77	कटकनवा	161
		78	महुआवा	163
		79	विन्दवासनी	164
		80	हनुमान नगर	165

30/9/25

ईख आयुक्त
बिहार, पटना।

		81	महुगवा	166
		82	धनहरी	167
		83	बुदाहा	169
		84	लक्ष्मण नगर	170
		85	हिरमानी	184
		86	पुरषोतमपुर	185
		87	टोला बंजारी	186
	तुरकौलिया	88	मथुरापुर	179
	आदापुर	89	लक्षमीपुर पोखरिया	80
		90	चैनपुर	81
		91	भवानीपुर	82
		92	कटकेनवा	83
		93	सिरिसिया भल	86
		94	नकरदेई	87
		95	भकुरहिया	88
		96	हरपुर	89
		97	नयकाटोला	90
		98	घोड़ासहन	91
		99	रामपुर	92
		100	इनारवा	93
		101	बेलदारवा	94
		102	लाला छपरा	95
		103	जामुनभार	96
		104	औरिया	97
		105	मुर्तिया	98
		106	श्यामपुर	99
		107	सिरिसिया कलां	100
		108	कचूरवाडी	101

उप निदेशक
ईख आयुक्त
बिहार, पटना।

		109	टोला उच्चीडिह	102
		110	टोला चिकनी	103
		111	बरवा	104
		112	लक्षमीपुर	105
		113	अरारा	106
		114	बेलवा	107
		115	भलुवहिया	108
		116	हिरा छपरा	109
		117	बैरिया	110
		118	कचोरवा	111
		119	माघी	112
		120	विशुनपुरवा	113
		121	सिरिसिया खुर्द	114
		122	दुबहाँ	115
		123	भेड़ीहारी	116
		124	इमिलिया	117
		125	कलवरिया	118
		126	गमहरिया काला	119
		127	मंझरिया	120
		128	वृता टोला	121
		129	बेलहिया	140
		130	बहादुरपुर	142
		131	बगही	144
		132	बखतौरा	145
		133	बरियारपुर	146
		134	भवनारी	147
		135	गमहरिया खुर्द	148
		136	कटकेनवा	149

ईख आयुक्त
बिहार, पटना।

		137	कानुनिया	150
		138	धबधबिया	151
		139	कोरिया	152
		140	पचपोखरिया	153
		141	लतीहरवा	158
		142	टिकुलिया	159
		143	चन्द्रवान	160
	बंजरिया	144	अजगरी	112
		145	सिंधिया हिवन	113
		146	पकड़ीया	114
		147	सिसवा	115
	छौड़ादानो, नरकटिया	148	तिनकोनी	156

30/9/25

ईखायुक्त
बिहार, पटना।